

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

गुरतेज सिंह आदि बनाम कमलजीत कौर आदि
संख्या 50 / 2024 अन्तर्गत धारा 212 RTI

नांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
------	-----------------------------------	---

14/2/25

धार सय का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 21/2/25 को पेश हो Kamr

21/02/25

अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समग्र चाहा। TI की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्तु बहस दिनांक 24/02/2025 को पेश हो।

24/02/25

अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के मूल प्रकरण का विस्तारण हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्वाधी विधिवादा दिनांक 10/06/2024 श्री निरस्त की जाती है। पत्रावली विणीति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल पकतर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर